कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
नलकूप मण्डल, मीरजापुर

पत्रांकः /न0मं00मी0/ज0सू0अ0/दिनांकः

-20

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-4(1) बी के अन्तर्गत विभागीय वेबसाइट पर अपलोड सूचना को अद्यतन किये जाने के संबंध में।

मुख्य अभियन्ता (न0वा0), सिं0वि0, उ0प्र0, वाराणसी

उपरोक्त विषयक अपने संदर्भित पत्रांक 1039/मु0अ0न0वा0/जनसूचना/दिनांक 05.02.2015 का अवलोकन करने का कष्ट करें। आपके पत्र द्वारा वांछित सूचना प्रपत्र-1 एवं 2 में मण्डल स्तर पर संकलित कर सी0डी0 एवं हार्ड कॉपी में आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः यथोक्त।
9 अदद।

अधीक्षण अभियन्ता
नलकूप मण्डल, मीरजापुर

पत्रांकः /ल0डा0न0ख0मि0/जसूअ/तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित हैः-

1. अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, मीरजापुर।
2. अधिशासी अभियन्ता, लघु डाल नहर खण्ड, मीरजापुर
3. अधिशासी अभियन्ता, नलकूप अनुरक्षण खण्ड, भदोही ।

अधीक्षण अभियन्ता
नलकूप मण्डल, मीरजापुर

नलकूप खण्ड, मीरजापुर

सूचना का अधिकार अधिनियम की समय बद्ध रूप से कियान्वयन के सम्बन्ध में 16 बिन्दुओं पर आख्या–

कमांक	बिन्दु	उत्तर
1	2	3
1	अपने संगठन की विषिष्ठियों कृत्य और कर्तव्य	नलकूप खण्ड,मिर्जापुर,मुख्य अभियन्ता नलकूप वाराणसी एवं अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल,मिर्जापुर के अधीन है जो सिंचाई विभाग का प्राचीनतम खण्ड है। तथा वर्तमान में मिर्जापुर में राजकीय नलकूपों के संचालन/रख–रखाव एवं मरम्मत का कार्य किया जाता है।उक्त कार्यो के संपादन हेतु इस खण्ड में चार उपखण्ड स्थापित है। इसके प्रथम,द्वितीय एवं तृतीय उपखण्ड का मुख्यालय मिर्जापुर तथा चतुर्थ उपखण्ड का मुख्यालय कछवॉं में स्थित है।
2	अधिकारियो और कर्मचारियों की षक्तियों और कर्तव्य	
	अधिषासी अभियन्ता	खण्ड के अन्तर्गत उपखण्ड के समस्त कार्यो का नियन्त्रण।
	सहायक अभियन्ता	उपखण्ड के अन्तर्गत आवंटित कार्यो का सम्पादन
	खण्डीय लेखाकार	वित्तीय हस्त पुस्तिका के खण्ड–6 के पैरा–98 में निहित मुख्य लेखाओ का संग्रह कर्ता प्राविधानों के अनुसार कार्यो का सम्पादन।
	अवर अभियन्ता	कार्यस्थल पर कार्यो की मानको एवं गुणवत्ता के साथ कराना।
	अनुसचिविय अधिश्ठान	कार्यालय के पत्रावलियों का सम्पादन एवं अभिलेखों का रख रखाव।
	राजस्व अधिश्ठान	राजस्व सम्बन्धित कार्यो का सम्पादन।
	कला अनुभाग	प्रारूप सम्बन्धित कार्यो का सम्पादन।
	चतुर्थ श्रेणी	अधिकारियों द्वारा दिये गये निदेर्षो का पालन।
3	विनिष्च करने की प्रक्रिया से पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।	उपखण्ड द्वारा कराये गये कार्यो का निरीक्षण एवं एवं कार्यो की गुणवक्ता को सुनिष्चित करना/कराना।
4	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मापमान	जनपद मीरजापुर के कृशकों की समस्याओं का समाधान कराना तथा उपखण्डीय अधिकारियों को कृशकों की समस्याओं के निस्तारण हेतु निर्देषित कर उनका निराकरण करना।
5	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेष निर्देषिका और अभिलेख।	विभाग में उत्तर प्रदेष में राज्य सरकार कर्मचारी आचरण सेवा नियमावली लागू है। कार्यो के सम्पादन के लिये विभाग के लिये मैनुअल है। वित्तीय हस्त पुस्तिका के प्राविधान एवं षासन व प्रमुख अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता नलकूप/ अधिक्षण अभियन्ता द्वारा जारी षासनादेषों/आदेषों का पालन करने हेतु अधीनस्थ उपखण्डीय अधिकारियों को निर्देषित करना। कार्यो का सम्पादन सिंचाई विभाग की लागू नियमों के अधीन कराया जाना।
6	ऐसे दस्तावेजो के जो उसके द्वारा धारित या उसके नियन्त्रणा धीन है प्रवर्गो का विवरण	अभिलेखो का वर्गीकरण सिंचाई विभाग मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका में दिये गये प्राविधानो के अनुसार किया जाना।
7	किसी व्यवस्था की विषिश्टियों जो उसकी नीति के संरचना या उसके कार्यानवयन एवं जनता के सदस्यों के परामर्ष के लिये या उनके द्वारा अभ्यावेनद के लिये	इस खण्ड के अन्तर्गत प्रत्येक माह के दूसरे बुद्धवार को सिंचाई बन्धु समिति की बैठक चौधरी चरण सिंह, विषिश्ट श्रेणी निरीक्षण भवन, फतहा मीरजापुर में आयोजित की जाती है। जिसके अन्तर्गत कृशकों के समस्याओं पर उनके विचारों परान्त समाधान किया जाता है।

	विद्यमान है	
8	ऐसे बोर्डो परिशदो समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति है, जिनका उसके भाग रूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किया गया है कि क्या उन बोर्डो, परिशदों समितियों और अन्य निकायो की बैठको जनता के लिये खुली होगी या ऐसी बैठको की कार्यवृत्त तक जनता की पहुच होगी	जनपद स्तर पर गठित समितियों से सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा बैठकों का आयोजन किया जाता है।
9	अपने अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्देषिका	कार्यालय अधिषासी अभियन्ता नलकूप खण्ड मीरजापुर का दूरभाश नम्बर संख्या-05442 245450
10	अपने प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबन्धित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है	अधिषासी अभियन्ता 15600-39100 सहायक अभियन्ता 15600-39100 अवर अभियन्ता 9300-34800 खण्डीय लेखाकार 9300-34800 प्राषासनिक अधिकारी 9300-34800 वरिश्ठ सहायक, कनिश्ठ सहायक, भण्डार पाल, प्रारूपकार, जिलेद्वार, सींचपर्यवेक्षक, नलकूप चालक, सेक्षन मिस्त्री, मेठ, धावक, चपरासी, स्टोर मुंषी, चौकीदार, हेल्पर, वेलदार, ्फीटर, मैकेनिक ग्रेड-3 5200-20200।
1	2	3
11	सभी योजनाओं प्रस्तावित व्ययों और किये गये संविवरणों पर रिपोर्टो की विषिश्टियां उपदर्षित करते हुये अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट	अनुदान संख्या-95 के अन्तर्गत वेतन, मंहगाई भत्ता, अन्य भत्ता, यात्रा भत्ता, कार्यालय व्यय, विद्युत, दूरभाश का रख रखाव आदि मदो में बजट का आवंटन मीरजापुर नहर प्रखण्ड मीरजापुर के कार्यालय में तैनात बजट नियत्रंक द्वारा होता है। राजकीय नलकूपों के अनुरक्षण, नालियो, पम्प हाउस आदि के कार्य अनुदान संख्या-94 के अन्तर्गत वित्तनियंत्रक द्वारा बजट आवंटित होता है।
12	सहायिकी कार्यकमों निशपादन की रीति जिसमें आवंटित राषि और ऐसे कार्यकमों के फायदा ग्राहयों के ब्यौरे सम्मिलित है।	इस तरह का कोई भी व्यवस्था इस खण्ड में नही है।
13	अपने द्वारा अनुदत्त रियायती, अनुज्ञा-पत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विषिश्टियां।	इस तरह की कोई भी व्यवस्था इस खण्ड में नही है।
14	किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे जो उपलब्ध हो या उसके धारित हो	विभाग में कम्प्यूटर एवं फैक्स उपलब्ध है।
15	सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिको के उपलब्ध सुविधाओं की विषिश्टियां, जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तिकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिये अनुसक्षित है तो कार्यकरण	भारत का कोई भी नागरिक वांछित सूचना कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में नियमानुसार प्राप्त कर सकता है।

	घण्टें सम्मिलित है।	
16	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विषिष्टियां।	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत जनपद मीरजापुर सिंचाई एवंज ल संसाधन विभाग हेतु जनसूचना अधिकारी एवं सहायक जनसूचना अधिकारी, कार्यालय अधिषासी अभियन्ता नलकूप खण्ड मीरजापुर के अधीनस्थ नामित, जो निम्नवत है। 1–श्री सुबोध रंजन सक्सेना, अधीक्षण अभियन्ता/अपीलीय अधिकारी। 2– श्री कृश्ण कुमार, अधिषासी अभियन्ता/जनसूचना अधिकारी। 3– श्री सईदुल्ला, सहायक अभियन्ता द्वितीय/सहायक जनसूचना अधिकारी।

अधीक्षण अभियन्ता
नलकूप मण्डल, मीरजापुर